

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठन

विषय: योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर संयुक्त सलाहकार (विद्युत) पीबी:4 रूपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 रू पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (पॉवर) के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य, क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (अ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू0 (+)ग्रेड वेतन 7600 रू0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पद पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों और योजना आयोग के ऐसे विभागीय उप सलाहकार जिन्होंने श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों:-

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य या इंजीनियरिंग संस्तान के भाग ए और बी के विद्युत इंजीनियरिंग में एशोसिएट सदस्य ।
- (ii) विद्युत उत्पादन / परेषण, उपयोगिता विकास आदि के क्षेत्र में अनुसंधान /विकास / योजना निर्माण / योजना के कार्यान्वयन का 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

- (i) विद्युत इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।
- (ii) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घकालीन भौतिक और वित्तीय योजना संबंधी समस्याओं के संबंध में प्रसिक्षण , यदि कोई हो ।
- (iii) मांग का पूर्वानुमान करने, वितरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित विद्युत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रकाशित रचना ।
- (iv) 12 वर्ष में से कम से कम 6 वर्ष परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन / अंकन का अनुभव ।

यदि पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि के लिए विचार किया जाएगा जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3. रिक्ति के ब्यौरे तथा आवेदन प्रपत्र "Appointment/Jobs" लिंक के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट <http://www.planningcommission.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट से रिक्ति सर्कुलर तथा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों से निवेदन है कि वे इस रिक्ति सर्कुलर को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है :-


- (i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;
- (ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
- (iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) में।
- (iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा
- (v) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड नहीं प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

आवेदन प्रपत्र सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सतर्कता प्रमाण पत्र दंड नहीं प्रमाण पत्र हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा ये सश्री रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित होगी।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला न हो। इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो। प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो। "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और उचित माध्यम से अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों।

8. यह रिक्ति प्रपत्र योजना अयोग द्वारा पहले जारी किये गये दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के समसंख्यक प्रपत्र के अधिक्रमन में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जी० राजीव)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23096531